न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री लोकेश शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान, जयपुर

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्तगण

1. श्री मयंक बाकलीवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता,
फर्मः— मैसर्स पूर्णिमा डेयरी, ई—87 ए अुर्बदा रिको एरिया, आबूरोड़, जिला— सिरोही
निवासी— अम्बिका कॉलोनी, माउन्ट मार्ग, आबूरोड़, जिला— सिरोही
2. श्री ओमप्रकाश बाकलीवाल पुत्र श्री रामप्रताप, (प्रोपराईटर, एफ.बी.ओ. व मालिक)
फर्मः— मैसर्स पूर्णिमा डेयरी, ई—87 ए अुर्बदा रिको एरिया, आबूरोड़, जिला— सिरोही
निवासी— 79, अम्बिका कॉलोनी, एसबीआई के पास, आबूरोड़, जिला— सिरोही
3. मैसर्स पूर्णिमा डेयरी, ई—87 ए अुर्बदा रिको एरिया, आबूरोड़, जिला— सिरोही

F.S.S.Act Case No. 71/2025

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा— 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः प्रतिवादी संख्या 1 (एक) मयंक बाकलीवाल

—: निर्णय :— **दिनांक 09 जनवरी, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री लोकेश शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, जयपुर द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लोकेश शर्मा, आयुक्तालय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, जयपुर द्वारा दिनांक 12—10—2024 को मैसर्स पूर्णिमा डेयरी, ई—87 ए अर्बुदा रिको एरिया, आबूरोड़, जिला— सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता मयंक बाकलीवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश बाकलीवाल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ क्रीम (लुज) का नमूना संख्या S-2510, निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, पूणे के विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र नम्बर RFL/P/DO-34/25/72/2025 दिनांक 21—01—2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण में सुनवाई तिथि 09—01—2026 को प्रतिवादी मयंक बाकलीवाल ने उपस्थित हुये। जबकि प्रतिवादी संख्या 2 (ओमप्रकाश बाकलीवाल) को नोटिस की तामिल होने के बाद भी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी मयंक बाकलीवाल ने लिखित जबाब प्रस्तुत किया एवं यह अनुरोध किया कि मेरे पिता ओमप्रकाश बाकलीवाल (प्रतिवादी संख्या 2) की प्रोपराईटरी फर्म पूर्णिमा डेयरी (प्रतिवादी संख्या 3) में मुझ प्रतिवादी विक्रेता से क्रीम का नमूना जांच हेतु लिया था। उक्त क्रीम को हमनें पैकिंग अवस्था मे क्रय किया था जिसके पैकिंग पैक को खोलकर उसमें से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा क्रीम का नमूना जांच हेतु लिया था। हमनें कुछ भी मिलावट नही की है। अतः मेरे द्वारा प्रस्तुत जबाव को सभी प्रतिवादीगण का जबाव मानकर प्रकरण का आज ही निस्तारण करावे।

......पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही—307001

(3) हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री लोकेश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान, जयपुर, दिनांक 12–10–2024 को समय 5–00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स पूर्णिमा डेयरी, E-87 A, अर्बुदा रिको एरिया, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी मयंक बाकलीवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश बाकलीवाल, निवासी– अम्बिका कॉलोनी, एस.बी.आई. बैंक के पास, माउन्ट मार्ग, आबूरोड़, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। श्री लोकेश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स पूर्णिमा डेयरी, E-87 A, अर्बुदा रिको एरिया, आबूरोड़, जिला– सिरोही के निरीक्षण के दौरान पूर्णिमा डेयरी के अन्दर परिसर में कोल्ड स्टोरेज रुम में प्लास्टिक कैरटों में लगभग 700 किग्रा खाद्य पदार्थ क्रीम (लुज) को घी के निर्माण हेतु रखा हुआ पाया, जिसमें गुणवत्ता में कमी का अन्देशा होने पर श्री लोकेश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना लेने की सूचना गवाह श्री प्रदीपकुमार सिंह पुत्र श्री विजयचन्द्र सिंह, निवासी– टी.एफ.आई. हिरागर मोहल्ला, सांतपुर, आबूरोड़ के समक्ष प्रतिवादी मयंक बाकलीवाल को प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री लोकेश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स पूर्णिमा डेयरी, E-87 A, अर्बुदा रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड़, जिला– सिरोही के अन्दर परिसर में कोल्ड स्टोरेज रुम में प्लास्टिक कैरटों. में रखे हुए खाद्य पदार्थ क्रीम (लुज) लगभग 700 किग्रा में से 800 ग्राम खाद्य पदार्थ क्रीम (लुज) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु उक्त गवाह के समक्ष एक साफ, सूखे, खाली बर्तन में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 300/– (अक्षरे रुपये तीन सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता मयंक बाकलीवाल को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। श्री लोकेश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा क्रीम (लुज) को प्रतिवादी विक्रेता मयंक बाकलीवाल व गवाह के समक्ष हिलामिलाकर चार साफ, सूखी, खाली बोतल जारों में बराबर–बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक नमूना बोतल जारों में 16–16 बूंदे फार्मेलीन की डालकर चारों बोतल जारों को ढक्कन लगागर एयरटाईट बन्द किया। श्री लोकेश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का स्थान, दिनांक, अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-2510, खाद्य पदार्थ क्रीम (लुज) का विवरण अंकित किया एवं प्रत्येक लेबल पर प्रतिवादी विक्रेता मंयक बाकलीवाल व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए श्री लोकेश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लोकेश शर्मा ने चारों नमूना बोतल जारों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाकर चारों नमूनों को अलग अलग कागज में लपेट कर चारों नमूना भागों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकत्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं क्रमांक S-2510 गोंद से चिपकाकर चारों नमूनों को अलग अलग मोटे मजबूत धागें से बांधकर चारों नमूनों बोतल जारों को नियमानुसार चपडी से सील मोहर कर चारों नमूनों पर प्रतिवादी विक्रेता मयंक बाकलीवाल व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवायें एवं स्वयं श्री लोकेश शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् श्री लोकेश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ क्रीम (लुज) के उक्त चारों नमूनों भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता मयक बाकलीवाल व गवाह तथा श्री लोकेश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् श्री लोकेश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के

.........पेज तीन पर

प्राव. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री लोकेश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल ने नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री सिद्धार्थ, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, पब्लिक हेल्थ लेब्रोरेटरी, जयपुर को दिनांक 21–10–2024 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाये गये। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री लोकेश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, आयुक्तालय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान, जयपुर द्वारा मैसर्स पूर्णिमा डेयरी, E-87 A, अर्बुदा रिको एरिया, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता मयंक बाकलीवाल से खाद्य पदार्थ क्रीम (लुज) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में श्री लोकेश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ क्रीम (लुज) के नमूना संख्या S-2510 की खाद्य विश्लेषक, जयपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1512/Act/2024/1564 दिनांक 30–10–2024 में खाद्य पदार्थ क्रीम का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा खाद्य पदार्थ क्रीम के नमूना संख्या S-2510 के दूसरे भाग की रेफरल लेब से जांच करने हेतु अभिहित अधिकारी को अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) द्वारा खाद्य पदार्थ क्रीम के नमूना संख्या S-2510 के द्वितीय भाग को जांच हेतु निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, पूणे को भिजवाया गया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, पूणे से उक्त खाद्य पदार्थ क्रीम के नमूना संख्या S-2510 की प्राप्त विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र नम्बर RFL/P/DO-34/25/72/2025 दिनांक 21–01–2025 में खाद्य पदार्थ क्रीम का नमूना संख्या S-2510, अमानक (sub-standard) पाया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मैसर्स पूर्णिमा डेयरी, E-87 A, अर्बुदा रिको एरिया, आबूरोड़, जिला– सिरोही (प्रतिवादी संख्या 3) का प्रोपराईटर व मालिक प्रतिवादी ओमप्रकाश बाकलीवाल पुत्र श्री रामप्रताप (प्रतिवादी संख्या 2) है एवं प्रतिवादी मयंक बाकलीवाल (प्रतिवादी संख्या 1) जो कि प्रतिवादी ओमप्रकाश बाकलीवाल का पुत्र है, जिसके द्वारा मैसर्स पूर्णिमा डेयरी, E-87 A, अर्बुदा रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड में अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ क्रीम (लुज) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ क्रीम (लुज) (नमूना संख्या S-2510) के विक्रय हेतु प्रतिवादी ओमप्रकाश बाकलीवाल पुत्र श्री रामप्रताप, निवासी– अम्बिका कॉलोनी 79, एस.बी.आई. बैंक के पास, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं प्रोपराईटर, मैसर्स पूर्णिमा डेयरी, E-87 A, अर्बुदा रिको एरिया, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रकरण में अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित खाद्य पदार्थ क्रीम (लुज) जो नमूनीकरण के बाद बचे खाद्य

......पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

पदार्थ क्रीम (लुज) को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर जब्त किया गया है उसका नियमानुसार निस्तारण करे। साथ ही, प्रतिवादी ओमप्रकाश बाकलीवाल को भी आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 09 जनवरी, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही